

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

संख्या:-05/स्था०-256/2007 (खंड)

आदेश

महामहिम भारत के राष्ट्रपति के दिनांक 24.03.2017 को प्रस्तावित पटना परिदर्शन के अवसर पर पूर्व दिनांक 22.03.2017 के पूर्वाह्न तक कारकेड की गाड़ियों की जाँच के लिए श्री अमिताभ कुमार, मोटर यान निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-05/स्था०-256/2007 (खंड)...../परि०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/पुलिस उपाधीक्षक (प्रारक्ष), न्यू पुलिस लाईन, पटना तथा श्री अमिताभ कुमार, मोटर यान निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-05/स्था०-256/2007 (खंड)...../परि०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना तथा मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-05/स्था०-256/2007 (खंड)1:28.8/परि०, पटना, दिनांक.12/3/2017

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।